बायोप्लास्टिक उद्योग लगाने पर मिलेगी 50% सब्सिडी

अमर उजाला ब्यूरो

पर्यावरण की भी सुधरेगी सेहत बायोप्लास्टिक उद्योग नीति मंजूर

लखनऊ। पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायोप्लास्टिक (बायोडिग्रेडेबिल और कम्पोस्टेबल) का प्रयोग और कबाड़ प्लास्टिक की समस्या घटाने के लिए प्रदेश में बायोप्लास्टिक उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाएगा। बायोप्लास्टिक उद्योग नीति बनाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी।

नीति के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपये या इससे अधिक निवेश करने वाली कंपनियों के लिए पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी सात वर्ष में दी जाएगी। वर्तमान में किसी भी राज्य में बायोप्लास्टिक उद्योग लगाने के लिए कोई व्यापक नीति नहीं है। उत्तर प्रदेश ये नीति बनाने वाला पहला राज्य है।

इकाइयों को सात वर्ष के लिए ब्याज में भी छूट दी जाएगी। दस वर्ष तक स्टेट जीएसटी में 100% छूट प्रतिपूर्ति के रूप में मिलेगी। 10 वर्ष तक विद्युत शुल्क नहीं लिया जाएगा। स्टांप ड्यूटी पर छूट अलग से मिलेगी। ये सभी लाभ 10 वर्ष में पूंजी निवेश के 200% से ज्यादा नहीं होंगे। इस नीति से प्लास्टिक प्रदूषण में कमी आएगी और प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन में फायदा होगा। इसके अलावा निवेश में बढ़ोतरी, निर्यात और आर्थिक विकास दर में सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा। प्रदूषण की समस्या का समाधान अलग से होगा। केवल एक इकाई दो हजार से ज्यादा प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से नौकरियां पैदा होंगी।

डिस्टलरी और ब्रेवरी की स्थापना में पहले दो साल में करना होगा 50% निवेश

लखनऊ। कैबिनेट ने आबकारी नीति में कई संशोधनों कोमंजूरी दे दी। इससे प्रदेश में डिस्टलरी और ब्रेवरी की स्थापना करने में लेटलतीफी करने वाली कंपनियों पर सख्ती होगी। कंपनी को पूर्व की तरह प्लांट की स्थापना के लिए निर्धारित शुल्क जमा करने पर तीन वर्ष तक छूट तो दी जाएगी, लेकिन अब उसे पहले दो साल में 50% का निवेश करना जरूरी होगा। इसके बाद ही उसे प्लांट को पूरी तरह स्थापित करने के लिए तीसरे वर्ष की छूट मिलेगी। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान व्यवस्था में प्लांट स्थापित करने वाली कंपनी को उसकी क्षमता और अल्कोहल उत्पादन के बारे में विभाग को शपथ पत्र देना होता है। अब कंपनी के साथ उसे प्लांट बनाकर मुहैया कराने वाली निर्माता कंपनी को भी विभाग को क्षमता और उत्पादन के बारे में शपथपत्र देना होगा। नीति में दो अन्य बदलाव भी किए गए हैं। पहले नीति में शुद्ध मदिरा पर लिए जाने वाले शुल्क का उल्लेख नहीं था जिसे अब शामिल कर लिया गया है। यदि किसी जिले में शराब की दुकान का तीन बार लॉटरी से आवंटन नहीं होता है तो चौथी बार भी प्रयास होगा। फिर भी आवंटन नहीं होता है तो आबकारी आयुक्त की अनुमति से किसी अन्य जिले में उसके सापेक्ष दुकान आवंटित की जाएगी। ब्यूरो